

गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फार्म

पन्तनगर फार्म पोस्ट-हल्दी

जिला-ऊधम सिंह नगर, पिन-263146

विश्वविद्यालय फार्म के एन खण्ड पूर्वी प्रक्षेत्र बेनी में स्थित मछली के तालाब को तीन वर्ष (दिनांक 01.07.2022 से 30.06.2025 तक) की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क पर दिये जाने हेतु निविदा।

निविदा-प्रपत्र

निविदा संख्या.....

निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की तिथि व समय

निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की अन्तिम तिथि व समय

निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय

निविदा खोलने की तिथि व समय

: निविदा शुल्क ₹ 1000.00 प्रति निविदा+ जी०एस०टी०

: दिनांक 24.05.2022 पूर्वाह्न 10.00 बजे से

: दिनांक 30.05.2022 सायं 4.00 बजे तक

: दिनांक 31.05.2022 को अपराह्न 1.00 बजे तक

: दिनांक 31.05.2022 को अपराह्न 3.00 बजे

क्र०सं०	विवरण	क्षेत्रफल है०	लाइसेंस शुल्क की अवधि	धनराशि
1	एन खण्ड, पूर्वी प्रक्षेत्र, बेनी में स्थित मछली के तालाब को दिनांक 01.07.2022 से 30.06.2025 तक की अवधि के लिये लाइसेंस शुल्क पर दिया जाना	2.00	01.07.2022 से 30.06.2025	अंको में ₹ ..... शब्दो में ₹ .....

मैंने निविदा की शर्तों का अध्ययन कर लिया है व सभी शर्तें मान्य हैं। धरोहर धनराशि ₹ ..... बैंक ड्राफ्ट सं०..... दिनांक..... के द्वारा जमा कर दिया है जो इस निविदा के साथ संलग्न है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

रसीद सं०.....

निविदाता के हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पूरा नाम.....

धनराशि ₹ .....

ग्राम व पो०.....

तह०..... जनपद.....

पिन..... दूरभाष.....

आधार नं० .....

पैन नं० ..... मो० नं०.....

निविदा निर्गत अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदा की शर्तें

1. निविदादाता को निविदायें दिनांक 31.05.2022 को अपराह्न 1.00 बजे तक फार्म मुख्यालय हल्दी में में रक्षित पेटी में जमा करनी होगी, जो दिनांक 31.05.2022 को अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेगी।
2. प्रत्येक निविदादाता द्वारा निविदा के साथ ₹ 50,000.00 की धरोहर राशि बैंक ड्रापट, सवाधि जमा पत्र के साथ देय होगी। उक्त धरोहर राशि का बैंक ड्रापट विश्वविद्यालय फार्म, गोबा० पन्त क०० एवं प्र०० विश्वविद्यालय के नाम से भारतीय स्टेट बैंक हल्दी/पन्तनगर यूको बैंक, हल्दी/पन्तनगर/नैनीताल बैंक, नगला में (विश्वविद्यालय फार्म खाता) देय हो जमा करना आवश्यक है। बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर निविदा में अधिकतम दरें प्राप्त होने के उपरान्त अधिकतम दरदाता द्वारा यदि निविदा वापस ली जाती है तो ऐसी दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी, जिसके लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होंगें।
3. ठेके की सम्पूर्ण धनराशि को 02 किस्तों में जमा करनी होगी, प्रथम किश्त (कुल मूल्य का 50 प्रतिशत) का भुगतान स्वीकृति पत्र निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर करनी होगी एवं इसके साथ ही एक वर्ष छः माह बाद की द्वितीय किश्त (कुल मूल्य का 50 प्रतिशत) का पी०डी०सी० चैक (पोस्ट डेटेड चैक) भी जमा कराना होगा।
4. यदि लाइसेंस शुल्कदाता द्वारा अपरिहार्य परिस्थितिवश किश्त का भुगतान समय से नहीं किया जाता है तो प्रारम्भ के 06 माह तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से एवं उसके उपरान्त 2.00 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा। किश्तों की देय विलम्ब शुल्क आगामी किश्त की धनराशि के साथ जमा कराना आवश्यक होगा।
5. उक्त किश्तों की धनराशि के समय पर भुगतान हेतु पी०डी०सी० चैक (पोस्ट डेटेड चैक) निविदादाता द्वारा जमा कराया जाना आवश्यक होगा। निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये पी०डी०सी० चैक किसी भी कारण से बाउन्स होने पर निविदा की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा तथा निविदादाता के विरुद्ध कानूनी एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी, इसके लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा। किश्त की धनराशि का भुगतान केवल बैंक ड्रापट अथवा बैंक अथवा आर०टी०जी०एस० अथवा एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा। किसी भी दशा में नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि लाइसेंस शुल्कदाता द्वारा निर्धारित तिथि तक किश्तों की धनराशि किसी भी कारणवश जमा नहीं कराये जाने की दशा में कुलपति, गोबा० पन्त क०० एवं प्र०० विश्वविद्यालय, पन्तनगर का निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
6. यदि सम्बन्धित ठेकेदार ठेका लेने के उपरान्त कार्य करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी एवं उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
7. तालाब की निविदा की अवधि दिनांक 01.07.2022 से 30.06.2025 तक की होगी। अनुबन्ध, निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त प्रपत्र निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर करना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में निर्गत किये जाने वाले प्रपत्र पर भी अवगत कराया जायेगा।
8. सम्बन्धित ठेकेदार को तालाब में पानी भरने के लिये डीजल पम्प/विद्युत पम्प की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
9. मछली तालाब की सुरक्षा ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, किसी भी प्रकार की क्षति होने की स्थिति में विश्वविद्यालय फार्म उत्तरदायी नहीं होगा।
10. सम्बन्धित ठेकेदार को अपने खर्च पर ₹ 100.00 नौनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जाना होगा तथा दोनों पक्षों के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने के पश्चात् किये गये अनुबन्ध को निविदादाता द्वारा पंजीकृत कराया जाना होगा।
11. अनुबन्ध को निविदादाता द्वारा पंजीकृत कराये जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् पंजीकृत अनुबन्ध विश्वविद्यालय फार्म को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् सम्बन्धित तालाब मछली पालन हेतु आपको दिये हेतु आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
12. तालाब की मछली बिक्री पर यदि किसी भी प्रकार का कर यथा—जी०एस०टी०, स्टॉम्प ड्यूटी, ई०एस०आई०सी० अथवा अन्य किसी प्रकार का टैक्ट जो नियमानुसार देय होगा वह उच्चतम् निविदादाता द्वारा ही स्वयं जमा कराया जाना होगा।
13. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कुलपति महोदय में निहित होगा। इसके साथ ही सम्बन्धित निविदा अथवा अनुबन्ध को बिना किसी कारण बिना किसी पूर्व सूचना दिये हुये निरस्त किये जाने का भी अधिकार कुलपति, गोबा० पन्त क०० एवं प्र०० विश्वविद्यालय, पन्तनगर का होगा, जिसे दोनों पक्षों को स्वीकार होगा। उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में निविदा निरस्त माना जायेगा।
- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमशः 01 से 13 तक) पढ़ ली गयी हैं तथा वह मान्य हैं।

निविदा निर्गत अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदादाता के हस्ताक्षर